

05.06.2024:-पत्रावली पेशी मे आई। वादी वकील उपस्थित नही आए। पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन पाया कि पत्रावली मे अपेक्षित कार्यवाही नही की जा रही। प्रार्थी अधिवक्ता को पूर्व मे कई अवसर दिये जा चुके है। वादी व वादी अधिवक्ता को बार-बार आवाज लगाई गई। अवाज लगाने के उपरान्त भी असालतन/वकालतन उपस्थित नही आये। प्रार्थी व प्रार्थी अधिवक्ता के उपस्थित नही आने के कारण प्रार्थना पत्र प्रार्थी अदम पैरवी/अदम हाजरी मे खारिज किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर वाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(Signature)

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्डाधिकारी
इन्दौर

